राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2011/**1253** दिनांकः **01.09.2011**

– नियुक्ति आदेश –

निदेशालय के पत्रांक ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2010/313 दिनांक 23.2.2010 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालयों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3140/2010 आरती बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 04.03.2010 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश में दिनांक 20.10.2010 को निम्नानुसार संशोधित किया गया –

"In the meanwhile, the respondents are at liberty to make selections and appointments to the post of Female Health Worker in pursuance to the advertisement dated 23.02.2010 on State level basis. However, the aforesaid selection process and the appointments made on the posts of Female Heatlh Worker shall remain subject to the decision of this writ petition."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3071/2010, 3082/2010 एवं 3080/2010 में दिनांक 21.12.2010 एवं 22.12.2010 को निम्नानुसार पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को संशोधित किया गया –

"The respondents are at liberty to initiate and complete the process of selection initiated under the advertisement dated 23.02.2010, however, any appointments made as a consequent to the process of selection aforesaid shall be subject to final decision of this petition."

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/11/680 दिनांक 01.06.2011 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पद पर नियुक्ति हेतु 1483 अभ्यर्थियों की अंतरिम चयन सूची जारी की गई थी तथा 212 अभ्यर्थियों को दिनांक 14.06.2011 एवं 15.06.2011 को कौंसलिंग हेतु राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में बुलाया गया था।

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2011/1076 दिनांक 29.07.2011 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पद पर नियुक्ति के संबंध में दिनांक 14.06.2011 एवं 15.06.2011 को कौंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं 209 प्राप्त परिवेदनाओं की जांच के उपरान्त चयन समिति की अनुशंषा के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु 1652 अभ्यर्थियों की मेरिट/राज्य स्तरीय चयन सूची (श्रेणीवार) उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन राज्य स्तरीय चयन सूची/मेरिट सूची जारी की गयी। तत्पश्चात् परिवेदना के आधार पर एक अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में सम्मिलित होने से रह जाने के कारण सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार कुल 1653 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

इन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/— पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200—20200, ग्रेड पे 2400 रूपये का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी। यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त रिट याचिकाओं एवं समान प्रकृति के अन्य रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णयों के अध्याधीन जारी की जाती है। (नियुक्ति/पदस्थापन सूची संलग्न है)।

नियुक्ति/पदस्थापन सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 30.09.2011 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनैस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.05.2006 से पूर्ण यदि विवाह हुआ हो तो शपथ पत्र एवं दिनांक 22.05.2006 के पश्चात हुये विवाह के लिये विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्रजो अलग—अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हो, प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता की जांच अपने स्तर पर भी करते हुये अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रति से मिलान करें। इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमितता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवायें, कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 30.09.2011 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। आपराधिक दोष सिद्ध न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वेरिफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया हों, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्ध के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेज के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेगें।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया हो तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा।

यदि नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी के जो अंक बताये गये है, यदि उसमें एवं मूल अंकतालिकाओं के आधार पर अंको में भिन्नता हो तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें।

यदि किसी अभ्यर्थी का चयन ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी (टीएसपी) /एसटी (टीएसपी)/सहरिया/विकलांग/विधवा/उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के विरूद्ध चयन हुआ है लेकिन अभ्यर्थी उस वर्ग की नहीं है, तो कार्यग्रहण नहीं करावें।

यदि किसी अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

संलग्नः– (नियुक्ति/पदस्थापन सूची)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–20/म.स्वा.का./(सी–263)/2011/**1253** दिनांकः **01.09.2011**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8. निदेशक, (जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स), मुख्यालय।
9. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
10. श्री एन. ए. नक्वी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
12. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनीकी जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से आपके स्वंय के स्तर पर परीक्षण किया जावेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रलेख जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। राज्य के बाहर नर्सिंग डिप्लोमा/उपाधि के प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता के संबध में भी संबंधित संस्था से सत्यापन करावें। अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें, कोई प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात फर्जी, कूटरचित अथवा मिथ्या पाये जावे तो उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जावे, ताकि मामले में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों का पदस्थापन करते समय उनके अधीन रिक्त पदों में से जहां ज्यादा आवश्यकता हो वहां प्राथमिकता से पदस्थापन किया जावे। यदि पद रिक्त नहीं हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे एवं निदेशालय को संशोधित पदस्थापन आदेश जारी करने हेतु प्रकरण भेजा जावे। नियुक्ति आदेश की समस्त शर्तों का पालना सुनिश्चित करें।
13. संबंधित पुलिस अधीक्षक।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
15. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस नियुक्ति/पदस्थापन के समाचार को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
16. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश की प्रति को विभागीय वेब साईट पर डाउनलोड करें।
17. श्रीमती/सुश्री .... को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ।
18. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर